निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /   -12/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तराखण्ड भोपालपानी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तराखण्ड भोपालपानी, देहरादून के माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार मौर्य ले0प0 व श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.05.2017 से 12.05.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** यह इकाई क प्रथम लेखापरीक्षा है।
   वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - सम्पूर्ण प्रदेश के खनिज अन्वेषण कार्य, खनन प्रशासन कार्य, भू॰ अ भयांत्रिक कार्य इत्यादि।
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	लक्ष्य	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2012-13	12000/-	10990/-
2013-14	24000/-	24800/-
2014-15	30100/-	22431/-
2015-16	45000/-	26160/-
2016-17	50000/-	23527/-

(ii)(ब) बजट का विवरणः-विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2012-13			304	294	18	18		
2013-14			387	348	28	27		
2014-15			452	405	137	21		
2015-16			537	445	135	135		
2016-17			658	470	224	138		

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ---A---श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव (खनन) – अपर सचिव/निदेशक – अपर निदेशक

|

संयुक्त निदेशक खनन – संयुक्त निदेशक भूविज्ञान – रसायनक

| | |

उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधि°- खान अधि° उपनिदेशक भूविज्ञान- सहायक भूविज्ञान सहा° रसायनज्ञ- प्रा° सहा°रसायनज्ञ

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **सम्पूर्ण प्रदेश** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तराखण्ड भोपालपानी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह.....................को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 03/2017 व 09/2013 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा</u>

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

प्रस्तर 01-

<u>व्यय की लेखा परीक्षा</u>

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

शून्य

<u>**राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा**</u>

<u>**भाग-II 'ब'**</u>

प्रस्तर 01:- लक्ष्यों की प्राप्ति न करने से राजस्व का कम संग्रह 53992 लाख।

खनन विभाग मे राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य शासन स्तर से निर्धारित किया जाता है तथा उक्त लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए समस्त जनपदीय कार्यालयों को दिशा निर्देश जारी किए जाते है।

आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया की लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रतिशतता मे वर्षवार लगातार कमी हो रही थी। विवरण निमन्वत है:-

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	(रु लाख में) प्रतिशत कमी
2012-13	12000/-	10990/-	1010/-	8.42%
2014-15	30100/-	22431/-	7669/-	25.48%
2015-16	45000/-	26160/-	18840/-	41.87%
2016-17	50000/-	23527/-	26473/-	52.95%
		योग	53992/-	

उक्त को इंगत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर मे बताया गया की माननीय न्यायलयों द्वारा समय- समय पर खनन चुगान पर रोक तथा मातृ सदन हरिद्वार द्वारा घटना प्रदर्शन एवं पर्यावरण अनुमति का समय से प्राप्त न होने से लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंक उपरोक्त सभी कारण प्रतिवर्ष समय-समय पर रहते है जिसको ध्यान में रखकर ही राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित कया जाता है।

अत: लक्ष्यों की प्राप्ति न करने से राजस्व का कम संग्रह 53992/- लाख का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	लागू नहीं	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तराखण्ड भोपालपानी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री पी0एस0गोसाई	निदेशक
(ii)	श्री शैलेश बगौली	निदेशक
(iii)	श्री श्रीधर बाबू	निदेशक
(iv)	श्री वनय शंकर पाण्डेय	निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तराखण्ड भोपालपानी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र